संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ए० जैकब) (क) पेंशन स्वीकृत करने के लिए निर्धारित मानदंड, जैसा कि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, संलग्न विवरण में स्पष्ट किये गये हैं (नीचे देखिए)

(ख) 31.7.1992 की स्थिति के अनुसार, गुजरात से प्राप्त हुए 6838 आवेदनों में से 3539 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है। अस्वीकृत किए गए मामलों के लिए अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) गत दो/तीन वर्षों से कोई मामला लम्बित नहीं पड़ा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पेंशन स्वीकृत करने के लिए निर्धारित किए गए मानदंड

1. छः माह की सजा (नजरबंदी/विचारणाधीन अवधि सहित)।
2. छः माह की एक्स्टर्नमेंट/इनटर्नमेंट।
3. "गिरफ्तारी के वारंट" के कारण छः महीने तक फरार रहना।
4. सरकारी नौकरी छूट जाना (स्थानीय निकायों में नौकरी सहित)।
5. कुर्की अथवा जब्त किए जाने के फलस्वरूप सम्पत्ति का नुकसान।
6. 10 बेंत/कोड़े/हंटर मारने की सजा।
7. लाठी चार्ज/गोली लगने के कारण स्थायी रूप से असक्षम होना।

टिप्पणी :—

1. स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन पाने के लिए शहीदों की विधवाएं भी पात्र हैं
2. स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी की विधवा पत्नी के मरणोपरान्त उनकी अविवाहित व बेरोजगार लड़कियां भी पात्र होती हैं।
3. अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों और महिला स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों में तीन माह की जेल यातना के बाद वे स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पाने के पात्र बन जाते हैं।

Special Screening Committee for Goa Freedom Fighters

2955. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received a booklet titled 'Why are Goa freedom fighters ignored';

(b) if so, what is Government's reaction thereto; and

(c) whether Government propose to form a special screening committee for Goan freedom fighters as suggested?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.